उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–3
संख्या–388 / चि0–3–16–जी–7 / 2016,
लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–794 / सेक–2–पांच–15–7(192) / 14, दिनांक 26.02.2015 एवं शासनादेश संख्या–1709 / सेक–2–पांच–15–7 (179) / 2014, दिनांक 21.09.2015 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर महानिदेशक के पत्र संख्या–गोपन / 04 वर्षीय विशिष्ट ए0सी0पी0 / 2015 / 2108, दिनांक 30.10.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पदधारकों को 04 वर्ष की नियमित, निरन्तर, संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के उपरान्त संलग्न सूची के स्तम्भ–6 में उल्लिखित चिकित्साधिकारीगण को स्तम्भ–11 में उल्लिखित तिथि से प्रथम विशिष्ट वित्तीय स्तरोन्नयन (वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0–6600) का लाभ प्रदान किये जाने का एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है। संलग्न सूची के अभ्युक्ति के स्तम्भ संख्या–14 में उन कारणों (सेवा सम्बन्धी प्रतिकूलताओं / सेवा अभिलेख उपलब्ध न होने आदि) का उल्लेख कर दिया गया है, जिनके दृष्टिगत कतिपय चिकित्साधिकारीगण को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ वर्तमान समय मे प्रदान नही किया जा रहा है अथवा उन्हें आगामी वर्षों में विशिष्ट वित्तीय स्तरोन्नयन की देय तिथि परिवर्तित करते हुए उक्त लाभ प्रदान किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोपरि।
(1990 चिकित्साधिकारियों की सूची)
(कुल–198 पृष्ठ)

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

Shakti/N.Lal/UO

संख्या–388(1)/चि–3–16–तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण को उपर्युक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित कराने का कष्ट करें।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाए महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वरिष्ठ परामर्शदाता, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,मण्डलीय/जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव